संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2021/130/सैंतीस-2-2021-1(14)/2019टीसी।

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-718/चारा/।।।एफ(436)/एन.एल.एम./एस.पी.लैब/2020-21, दिनांक-15.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से स्वीकृत नहीं की गयी है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(9) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था निर्धारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की गयी धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) आंकड़ों एवं तथ्यों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-107-चारा और चारागाह विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-एरिया स्पेस्फिक मिनरल मिक्सचर/फीड पिलेटिंग/फीड मैन्युफैक्चरिंग इकाई (एम/एस एस.पी.लैब) की स्थापना (के.100/रा.00-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-165/दस-2021, दिनांक-12.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-19/2021/130(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।